न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–73/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00049)

1. गुरदित सिंह पुत्र श्री स्व. श्री जसवन्त सिंह, जाति रायसिख, पिासी मकान नम्बर 194, ग्राम जेतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सुरजीत कौर पत्नी पुरण सिंह,
2. मोहन सिंह पुत्र पुरण सिंह,
3. मन्जीत सिंह पुत्र पुरण सिंह,
4. गुरमीत सिह, पुत्र पुरण सिंह,
5. परमजीत कौर पुत्री पुरण सिंह,
6. रंजीत कौर पुत्री पुरण सिंह, समस्त जाति रायसिख, निवासी मकान नम्बर 194, ग्राम जेतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 06.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पुरण सिंह पुत्र श्री गणेशा सिंह की मृत्यु दिनांक 05.10.2013 को हो गई थी, मृत्यु से पूर्व श्री पुरण सिंह ने एक वसीयतनामा दिनांक 12.07.2013 को मिन अपीलान्ट के हक में तस्दीक किया जिस वसीयतनामें के जरिये आराजी खसरा नम्बर 1291/0.48, खसरा नम्बर 1294/0.41, 1292/0.38, कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्टयर आराजी मिन अपीलान्ट को प्राप्त हुई उपरोक्त वसीयत में दर्ज आराजी वसीयतकर्ता की स्वयं पैदाकर्दा आराजी है, उपरोक्त वसीयत में वसीयतकर्ता ने सभी तथ्य अंकित कर वसीयत मिन अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक की है, वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 05.01.2013 को हो गई जिसमें उपरोक्त वसीयत के आधार पर मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक होना लाजिम आया जिस पर मिन अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की प्रार्थना की जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके पर खारिज करने मे अहम कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2017 न्यायालय तहसीलदार अलवर पत्रावली पर पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित व खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत दिनांक 12.07.2013 को रजिस्टर्ड ना होने के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज उचित नही माना है जबकि यह कानून का प्रतिपदित सिद्धान्त है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है एवं उपरोक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है जो काबिले गौर श्रीमान है जिससे

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में मिन अपीलान्ट के हक में वसीयत करने का कारण एवं अपने प्राकृतिक वारिसों के पक्ष में वसीयत ना करने का कारण स्पष्ट रूप से वसीयत में उल्लेखित किया है जिससे उपरोक्त वसीयत किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नही है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया एवं विधि विरूद्ध एवं कानून की प्रक्रिया के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो इसी आधार पर ही निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है, ना ही रेस्पोडेन्ट ने अपने अधिकार बाबत कोई दावा किसी सक्षम न्यायालय में दायर किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में वसीयत के आधार पर मिन अपीलान्ट के हक मे नामान्तरकरण दर्ज होना लाजिम है साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मृतक पुरण सिंह कभी भी रेस्पोडेन्ट्स के साथ नही रहा, वह हर दम मिन अपीलान्ट के साथ रहा और मिन अपीलान्ट ने उसकी सेवा सुश्रुषा की है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को प्रारम्भ से ही थी जिससे अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिन अपीलान्ट अपनी आराजी पर शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज है एवं रेस्पोडेन्ट बिना वजह बार–बार महज मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की जूस्तजू में है जिसमें कोई सार नही है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है एवं अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0.अ.) रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 निरस्त फरमाने की कृपा करें व वसीयत दिनांक 12.07.2013 के आधार पर मिन अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त आराजी के खातेदार पुरण सिह पुत्र गणेशा सिंह के प्रथत श्रेणी के वारिसान है तथा रेस्पोडेन्ट ने कभी कोई वसीयत अपीलान्ट या अन्य किसी के हक में नही की गई है। उन्होने कथन किया है कि पूरण सिंह अपने अंतिम समय तक अपने वारिसान के साथ ही निवास करता चला आ रहा था तथा उनके फौत होने के बाद पूरणसिंह के बडे पुत्र को बतौर रस्म पगड़ी इत्यादि सम्पन्न हुई और इसी प्रकार मृतक पूरण सिंह के परिवार की बागडोर पूरण सिंह के वारिसान के जिम्मे हुई, मृतक पूरणसिंह जब बीमार थे तो रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ही उनकी देखभाल व सेवा टहल की गई है जबकि पुरण सिंह अपीलान्ट के साथ कभी भी नही रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि मृतक पुरण सिंह बीमार हुआ तो मृतक के पुत्रों द्वारा ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिस एडमिट कार्ड पर उसके पुत्रों के ही हस्ताक्षर है। उन्होने आगे कथन किया है कि फर्जी वसीयत में तथाकथित व्यक्ति गुरदित सिंह का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है, उक्त कथित व्यक्ति अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध पूर्व में भी दिल्ली में कई अपराधिक व फौजदारी व पडयंत्रकारी मुकदमें दर्ज है जिसने रेस्पोडेन्ट की आराजी को हडपने की नियत से एक अनरजिस्टर्ड फर्जी व नुमाईशी वसीयत दिल्ली में तैयार करवाई है जबकि

कराये है तथा वसीयतनामा पर जो हस्ताक्षर है वो भी रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पुरण सिंह के नही है। उन्होने कथन किया है कि पुरण सिंह ने कभी कोई वसीयत नही की है बल्कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी को हडपने की नियत से अपने मेली जोली व्यक्तियों व रिश्तेदारों से साजबाज होकर तथा अपराधिक षडयंत्र रचते हुये पुरण सिंह का जो वसीयतनामा दिनांक 12.07.2013 तैयार कराया है वह वसीयतनामा बिल्कुल फर्जी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व उसके सहयोगियों के इस अपराधिक कृत्यु के लिये रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी को साक्ष्य, सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसान मौजूद होते हुए अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार करना उचित नही मानते हुए मृतक के प्राकृतिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।